19 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 03-02-2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
19 / 2022	20-04-2022	03/02/2023 (2023)

बनाम –

01 फजरू पुत्र रूजदार जाति फकीर निवासी ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

01 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

02 जैतूनी पत्नी रज्जाक

03 जफरीना पत्नी अख्तर

04 रमजानो पत्नी जब्बार जाति मेवान निवासीगण ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.03 है0, 176 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में तन्हा मिन प्रार्थी के नाम खातेदारी का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। मिन प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी के साथ लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की हाल खसरा नम्बर 173/498 रकबा 0.08 है0, 174/499 रकबा 0.09 है0, 175/500 रकबा 0.09 है0, 182 रकबा 0.06 है0 है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 जो कि मिन प्रार्थी से दिली रंजिश रखते है और अपनी आराजी की आड में मिन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को जबरन अपनी आराजी में मिलाने को प्रयासरत रहे है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन पेश किया। तहसीलदार तिजारा के आदेश कमांक/93 दिनांक 17.01.2019 को हल्का पटवारी व कानूगों को आराजी की पैमाईश करने के आदेश दिये। तहसीलदार तिजारा के आदेश की [illegible] में दिनांक 10.06.2019 को हल्का पटवारी व कानूनगों मौके पर आये। हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.03 है0, 176 रकबा 0.03 है0 की मौके पर सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये तथा उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये [illegible] हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष पेश की है। जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

...खातेदारी की उक्त आराजी के पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 जो कि ...च अधिकार के प्रार्थी के हिस्से की भूमि को मिलाकर प्रार्थी के हकूकों को जायल करने की ... तथा पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी की ... अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए न्यायहित में हाल आराजी ...म्बर 173 रकबा 0.03 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.03 है0, 176 रकबा 0.03 है0 वाके ...चावण्डीखुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी कराया जाना उचित एवं न्यायासंगत है। ...मिन प्रार्थी को न्याय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 ... करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू ...राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2019 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.03 है0, 176 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार टपूकडा व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार टपूकडा प्रकरण में फोरमल पक्षकार है कोई राजकीय हित प्रभावित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 10.06.2019 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.03 है0, 176 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी करते समय उक्त आराजीयात से लगती हुई आराजीयात के खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:13:11 IST
Reason: SelfAttested